

उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
40/19	212 RTA	शंकर बाजोती-चाचोडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मनोज	बनाम	अमलाल कोठ

वकील :- अमल एलीव आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

28/6/09
 प्रतिभाकर भायी द्वारा मा.पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्राधी गणों के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सविस्तार में अवलोकन किया प्रमाण दर्ज अभिलेख किया जावे तथा अप्राधी गणों को परिचय समान तलब कर पत्रावली दिनों 17/7/09 को पेश हो।

17/7/09
 पत्रावली पेश हुई। वकील भायी उपस्थित। प्रतिकर्षक को 5 ता. की ओर से भी समानित करने के लिए पत्रावली को अमलाल नाम पेश हुआ। प्रतिवादी को 17/7/09 को समान वाद तालील अपीलत। वास्तु में 17/7/09 को पत्रावली दिनों 15/8/09 को पेश हो।

17/9/09
 जन गणमन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 17/9/09 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

22/10/09
 पत्रावली पेश हुई। वकील भायी उपस्थित। प्रतिवादी गणों 19/11/09 के बाह्य तालील समान प्रारण। वास्तु में धारा 212 के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्य वादी भी प्रारण है। प्रतिवादी को 17/7/09 एवं 5 थी तलबी हेतु तलबी को पेश करे। वास्तु तलबी पत्रावली दिनों 19/11/09 को पेश हो।

आप्त पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 24/5/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

18/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर 21-5-21 पर पत्रावली पेश हुई। प्रशासन उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत् पत्रावली न्यायालय में दिनांक 21/5/21 को पेश हो।

22/22

आप्त पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25/5/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

4/5/22

आप्त पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 24/5/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

24/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील भावी अनुपस्थित। तीन बार कोर्ट लगे गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अटक जारी अटक पेश के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुनार होकर दारिद्र्य दफ्तर हो।